न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री राकेश ओस्तवाल निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 07/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से क्रमांक :- सू0अ0,05/2025/07 दिनांक 05.02.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय हाजा द्वारा आरटीआई पोर्टल पत्रांक 5886735186 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना अपूर्ण होने से पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाओं में विशिष्टियॉ स्पष्ट अंकन (किस विभाग/क्षैत्र से संबंधित) का नही होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक द्वारा दिनांक 20.01.2025 को खारिज/निरस्त करते हुए सूचना प्रार्थी को प्रेषित की गई। अतः श्रीमान के यहॉ विचाराधीन अपील में कोई कार्यवाही शेष नही होने से विचाराधीन प्रथम अपील को इसी स्तर पर खारिज/निरस्त करने का श्रम करावें। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं में विशिष्टियॉ स्पष्ट अंकन (किस विभाग/क्षैत्र से संबंधित) का नही होने तथा उक्त संबंध में अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)